

FORM NO. III

फर्ड अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत—जिला कलक्टर मुकाम : दौसा
आम जनता गंगा विहार कालोनी बनाम घनश्याम वगै०
किस्म मुकदमा—धारा 73(2) राज.नगरपालिका अधि.

नंबर 03/2017

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं० 2 उपस्थित। निगरानीकार सं० 1 अनुपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं० 2 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रश्नगत पटटे को निरस्त करने हेतु निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। चूंकि निगरानीकार द्वारा जिस पटटे को माननीय न्यायालय श्रीमान के यहाँ चुनौती दी गई है वह पटटा नगर परिषद दौसा द्वारा 27.12.2012 को जारी किया गया है एवं उप पंजीयक दौसा के द्वारा उक्त पटटे का दिनांक 28.12.2012 को पंजीयन किया गया है। उक्त पटटे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं हो कर सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता निगरानीकार एवं अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं० 2 द्वारा उक्त निगरानी खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

उपस्थित अधिवक्तागण को सुना गया। मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण धारा 73(2) नगरपालिका अधिनियम के तहत पटटे को निरस्त किये जाने हेतु विचाराधीन है जो इस न्यायालय में पोषणीय (Maintainable) नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है। जिला अभिलेखागार का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



जिला कलक्टर
दौसा

